मालिकाना हक होते हुए भी कोटपूतली में लोगों को बेदखल किया जा रहा है

ना पट्टों की वैल्यू ना रजिस्ट्री की, नगर परिषद ने अवैध कब्जे बता तोड़ डाले मकान, दुकान

- अब लोगों में इतना खौफ की खुद ही अपने घर, दुकान तोड़ रहे हैं।
- परिषद आयुक्त ने वर्तमान में जारी पट्टों से लेकर खेतड़ी रियासत द्वारा जारी पट्टों तक के लिए कहा कि, ये गलत जारी हुए हैं।

कोटपूतली, 11 अगस्त (निसं)। नगर परिषद कोटपूतली प्रशासन के समक्ष उनके द्वारा ही जारी किये गये पट्टों एवं रजिस्ट्रियों की कोई कीमत नहीं है, कोटपूतली प्रशासन इन सभी कागजातों को भी संभवतः अवैध व गैरकानूनी मान रहा है।

कोटपूतली में मास्टर प्लान 2011-2031 के अनुरूप कस्बे के मुख्य चौराहे से लेकर नगरपालिका तिराहा तक 80 फीट व पूर्वी सिनेमा से पुतली कट तक 60 फीट सड़कों के चौड़ाईकरण को लेकर मुख्य चौराहे से लेकर अग्रसेन तिराहा, पुराने नगरपालिका भवन के सामने व नेहरू बाजार में जहां विगत 6 अगस्त को अल-सुबह करीब 5 बजे स्थानीय नगरपरिषद् प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ जेसीबी व पोकलैण्ड मशीनों द्वारा कई इमारतों, दुकानों को इकतरफा कार्रवाई ध्वस्त कर दिया। इस एक तरफा कार्रवाई से पीड़ित लोग हताश है क्योंकि मालिकाना हक होते हुए भी उन्हें सरकार द्वारा अपनी ही निजी प्रोपर्टियों से बिना भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किये बेदखल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि, गतवर्ष 14 व 15 दिसम्बर 2021 को नगरपालिका मण्डल कोटपूतली ने कुछ नागरिकों को नोटिस दिये कि चिन्हित जगह के दोनों तरफ के नागरिक अपने मकान, दुकान एवं अन्य निर्माणों को तीन दिवस के अन्दर हटा लेवें एवं अपने-अपने भूखण्ड से सम्बन्धित दस्तावेजात नगरपालिका मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा नोटिस में दी गई समयावधि के पश्चात उनके निर्माण को ध्वस्त कर दिया जायेगा। इसी प्रकार इसी आशय का एक नोटिस 23 दिसम्बर 2021 को भी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया था।

लेकिन नगरपालिका कोटपूतली ने जिन व्यक्तियों को इस प्रकार के नोटिस प्रदत्त किये हैं उनमें से अधिकांश अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इन परिसरों पर पट्टे, लीज डीड के माध्यम से भूधारी एवं भूस्वामी है। परन्तु नगरपालिका कोटपूतली ने हठधर्मितापूर्वक इन तथ्यों को नजर अंदाज किया एवं भूस्वामियों को अतिक्रमी की श्रेणी में माना है, जबकि नगरपालिका मण्डल कोटपूतली को ऐसे भी विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

इससे भयाकुल नागरिकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली, परन्तु दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय में 22 दिसम्बर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक शीतकालीन अवकाश था तो, परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सुनवाई हेतु अवकाशकालीन न्यायपीठ की तुरन्त स्थापना करते हुए 23 दिसम्बर को सुनवाई करते हुए नगरपालिका कोटपूतली की कार्यवाही पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई एवं शीतकालीन अवकाश के पश्चात सुनवाई निश्चित की। इसी क्रम में 7 जनवरी 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय की नियमित खण्ड पीठ ने पीड़ित याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए नगरपालिका कोटपूतली के नोटिस की क्रियान्विति पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाते हुए निर्देशित किया कि वह प्रत्येक याचिकाकर्ता के भूखण्ड के स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेजों की समीक्षा करें एवं प्रत्येक याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करें।

तदुपरान्त उक्त 25 याचिकाकर्ताओं में से कुछ याचिका-कर्ताओं ने 7 जनवरी 2022 के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में अपील प्रस्तुत की। जिसपर 25 फरवरी 2022 को खण्ड पीठ ने एकल न्यायपीठ के निर्णय की विस्तृत व्याख्या करते हुए राजस्थान सरकार सहित अधिशाषी अधिकारी कोटपूतली एवं मण्डल अध्यक्ष कोटपूतली को यह निर्देश दिया कि, नगरपालिका कोटपूतली का नोटिस अपास्त एवं खण्डित किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी नगर परिषद कोटपूतली के आयुक्त ने मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेन्द्र यादव की कार्यशैली के चलते 6 अगस्त को याचीगणों एवं नागरिकों के विधि सम्मत् निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

इसी बीच याचिगणों ने पुनः राजस्थान उच्च न्यायालय में राहत हेतु गुहार लगाई लेकिन इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के अवकाश होने के कारण 18 अगस्त को सुनवाई किया जाना निश्चित किया गया है।

इस कार्रवाई को लेकर लोगों का कहना है कि, जिन मकान और दुकानों को नगरपरिषद् प्रशासन ने अवैध मानते हुए तोड़ा है या चिन्हित किया है उन मकान दुकानों में काबिज रहते उनकी सदियां गुजर गई हैं। लेकिन उन्हें बिना मुआवजा राशि तथा पुनर्वास की व्यवस्था किये ही तुगलकी फरमान जारी कर वहां से बेदखल किया जा रहा है।

इधर नगर परिषद् आयुक्त फतेहसिंह मीणा ने लोगों के वर्तमान में बने पट्टों से लेकर खेतड़ी रियासत तक के पट्टों को गलत जारी हुआ माना है। जिस पर लोगों का कहना है कि, पट्टे चाहे वर्तमान में जारी हुए हों या पूर्व में लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ही जारी नहीं किया गया बल्कि रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें रजिस्टर्ड भी किया गया है। ऐसे में दुकान व मकान मालिकों का हक छीनना नियम विरूद्ध है। उक्त कार्यवाही के बाद अब लोगों में भय का माहौल है जिसके चलते लोगों ने अपनी सम्पतियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। इधर प्रभावित लोग प्रशासन व सरकार से अपनी सम्पतियों के नुकसान के मुआवजे व पुनर्वास की भी मांग कर रहे हैं।

बांदा में यमुना नदी में नाव डूबी

बांदा, 11 अगस्त (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गुरुवार को यमुना नदी में एक नाव डूबने की दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी और 17 लापता हैं, जबकि 15 अन्य को गोताखोरों ने सुरक्षित बचा लिया है। इस नाव में कुछ बहनें भी सवार थीं जो माइके अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही थीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य तेज गति से चलाने के निर्देश दिये हैं। बांदा के पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि आज दोपहर बाद लगभग तीन बजे यमुना नदी में फतेहपुर से बांदा की ओर आ रही एक नाव बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र में डूब गयी। उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरु कर दिया।

उन्होंने बताया कि तेज हवा चलने के कारण नाव असंतुलित होकर पलट गयी। गोताखोरों ने अब तक दो महिलाओं और एक बच्चे का शव बरामद कर लिया है।

बार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व मई, 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इस संबंध में सभी बार एसोसिएशन को पत्र लिखा है। बीसीआर की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि, बार एसोसिएशन का हर सदस्य चुनाव से कम से कम दो दिन पहले शपथ पत्र पेश कर घोषणा करेगा कि उसने किसी अन्य बार एसोसिएशन में वोट नहीं डाला है। वहीं यदि यह घोषणा झूठी पाई गई तो ऐसे सदस्य की सदस्यता स्वतः ही तीन साल के लिए निलंबित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि बार एसोसिएशन ने निर्देशों की पालना नहीं की गई तो एसोसिएशन की संबद्धता को भी रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा बार काउन्सिल ने सभी बार एसोसिएशन्स को मतदाताओं की अपडेट की गई सूची भी भेजने को कहा है। गौरतलब है कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर व अन्य बनाम बीसीआर व अन्य मामले में बार एसोसिएशनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट के इन निर्देशों को कुछ संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखा था।

बाराती बनकर आयकर विभाग ने 4 कंपनियों पर छापा मारा

किसी को भनक ना लगे इसलिए 260 अधिकारियों की टीम सजी-धजी 120 कारों में सवार होकर छापा मारने पहुंची

- इतना बड़ा काफिला देखकर किसी को शक ना हो जाये इसलिए सभी कारों के ऊपर "दुल्हन हम ले जायेंगे" के स्टिकर लगाये गये थे।
- पूरी कार्रवाई इतने गुप्त तरीके से की गई कि, तीन दिन तक छापामारी चली, लेकिन स्थानीय पुलिस तक को भनक नहीं लगी।
- इतनी बड़ी मात्रा में मिली नकद राशि को गिनने के लिए यह सारा रुपया स्थानीय स्टेट बैंक की शाखा में ले जाया गया, जहां इसे गिनने में कुल 13 घंटे लगे।

मुंबई, 11 अगस्त। महाराष्ट्र के जालना व छत्रपति शंभाजी महाराज नगर (औरंगाबाद) जिले में आयकर विभाग के अधिकारी बाराती बनकर पहुंचे। एक सप्ताह तक छापे की कार्रवाई की। शुरुआत तीन दिन तक स्थानीय पुलिस को भी भनक नहीं लगी। अब तक करीब आधा दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 390 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आयकर सूत्रों के अनुसार, उन्हें स्टील कारोबार व फैक्ट्रियों के एक बड़े केंद्र जालना की चार कंपनियों छत्रपति शंभाजी महाराज नगर के व्यवसायी व प्रापर्टी डीलर द्वारा आयकर चोरी की भनक लगी थी। ठोस सूचनाओं के आधार पर आयकर विभाग के 260 अधिकारियों की बड़ी टीम 120 कारों में सवार होकर छापा मारने इन कंपनियों में जा धमकी। इन 120 कारों के काफिले में हर कार पर 'दुल्हन हम ले जाएंगे' का स्टीकर लगा था, ताकि देखने वालों के लगे कि कोई बारात जा रहा है। तीन अगस्त को इनमें से एक टीम जालना के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस पर पहुंची और छापे की कार्रवाई शुरू की। जिन कंपनियों पर छापे मारे गए उनके नाम हैं-कालिका स्टील एलाय प्रा.लि, श्री राम स्टील, फाइनेंसर विमल राज, एक डीलर प्रदीप बोरा व जालना का एक सहकारी बैंक। जिन स्टील कंपनियों पर छापे पड़े हैं, उनमें से एक की स्थापना 2003 में एवं दूसरी की 1985 में हुई थी। एक साथ इतने प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के बावजूद स्थानीय पुलिस को तीन दिन तक इन छापों की भनक तक नहीं लग पाई। करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों, उनके मालिकों व कर्मचारियों के विभिन्न ठिकानों व उनके बैंक लाकरों से आयकर विभाग को 58 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोना तथा कई बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं। इनकी कुल कीमत अब तक 390 करोड़ बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में मिली नकद राशि को गिनने के लिए यह सारा रुपया स्थानीय स्टेट बैंक की शाखा में ले जाया गया, जहां इसे गिनने में कुल 13 घंटे लगे। तीन अगस्त से शुरू हुई छापे की यह कार्रवाई आठ अगस्त तक चली।

आंध्र को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फोस्टर प्लस पार्टनर्स लिमिटेड को भुगतान नहीं करने के लिए नोटिस दिया। कम्पनी ने अमरावती को कोर कैपिटल क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाया था।

चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की दो सदस्यीय बैंच, जिसमें जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं, ने यू.के. की आर्किटैक्ट कम्पनी की याचिका स्वीकार की है जिन्होंने डिजाइन वर्क के बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार के साथ हुए विवाद में मध्यस्थता करने की मांग की है। अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी।

फोस्टर प्लस पार्टनर्स कम्पनी ने वर्ष 2018 में अमरावती के राजधानी क्षेत्र का मास्टर प्लान और इमारतों के डिजाइन बनाए थे। इन इमारतों में विधानसभा भवन, हाईकोर्ट परिसर व अन्य प्रशासनिक भवन शामिल हैं।

जगनमोहन सरकार, जिसने मई 2019 में राज्य की सत्ता संभाली थी, ने अमरावती कैपिटल प्लान को त्याग दिया और सभी काम रुकवा दिया साथ ही सभी भुगतान भी रुकवा दिए। तीन साल इंतजार करने के बाद कम्पनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने की इच्छा जताई है।

क्या ममता बनर्जी भी मायावती की...

- ममता बनर्जी के मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ मंत्री पार्थो चटर्जी का प्रकरण, इन्कम टैक्स के अभियान का पहला एपिसोड है। उसके बाद बीरभूम के तृणमूल के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मण्डल व उनके गैंग के खिलाफ बंगलादेश में मवेशी भेजने व बेचने के पुख्ता सबूत इकट्ठा करके सी.बी.आई. ने मंडल को गिरफ्तार कर लिया है तथा इनके पास भी अरबों की सम्पत्ति होने की चर्चा है।
- क्या इन प्रकरणों ने ममताजी को प्र.मंत्री मोदी व भाजपा के प्रति नरम होने को बाध्य किया है?

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यहां यह दिलाना जरूरी है कि यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस ने ही किया था तथा उसे आगे बढ़ाया था तथा उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन प्राप्त था।

2007 से 2012 तक, जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, उस समय सेवानिवृत्त आई.ए.एस. नेतराम उनके सबसे ज्यादा करीब माने जाते थे। वे पांच साल तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे थे।

इस बीच, जाति के दलित, नेतराम महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे कृषि विभाग में प्रधान सचिव रहे। इसके अलावा, वे एक्साइज़, गन्ना, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति में भी सर्वोच्च पद पर रहे।

सूत्रों का कहना है कि ममता तक यह संदेश पहुंचा दिया गया कि वे संयुक्त विपक्ष का हिस्सा बनने से दूर रहें, अन्यथा इसके परिणाम मायावती जैसे ही होंगे। टी.एम.सी. में कम से कम एक दर्जन ऐसे नेता हैं, जिनकी परिसम्पत्तियाँ, उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अनेक गुना ज्यादा हैं तथा इस मामले में एक याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका निबटारा शीघ्र ही कराया जा सकता है।

राष्ट्रपति चुनावों में, यशवंत सिन्हा से कह दिया गया था कि वे पश्चिमी बंगाल में अपना प्रचार नहीं करें तथा इसका कारण यह बताया गया था कि उनके राज्य में आने से तथा टी.एम.सी. द्वारा उनकी उम्मीदवारी का खुला समर्थन किये जाने से आदिवासी मतदाता पार्टी से दूर छिटक जायेंगे तथा सिन्हा कोलकाता नहीं गये।

उनके आमतौर से रहने वाले आक्रामक तेवरों में स्पष्ट बदलाव उपराष्ट्रपति चुनाव में दिखाई दिया, जब ममता ने कहा कि उनकी पार्टी मतदान से दूर रहेगी। खासतौर से उस स्थिति में, जब सत्तारूढ़ एन.डी.ए. के प्रत्याशी वही जगदीप धनखड़ थे, जिनके साथ, जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ममता की लड़ाई चलती रहती थी, उनका विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा का समर्थन न करने तथा मतदान तक से दूर रहने के निर्णय को क्या माना जाये। मतदान से दूर रहने का मतलब था-अप्रत्यक्ष रूप से एन.डी.ए. का समर्थन करना। पुराने तथा धीर-गंभीर राजनैतिक पर्यवेक्षकों को चकित कर देने वाली बात यह थी कि भाजपा तथा मोदी सरकार के प्रति प्रायः दिखाई देते रहने वाली उनकी उग्र आक्रामकता गायब हो गई थी। खासतौर से ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनकी हाल की ही दिल्ली यात्रा के दौरान, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार भेंट की, वहीं वे किसी भी विपक्षी नेता से नहीं मिलीं।

सूत्रों के अनुसार, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के प्रति उनकी पूर्व राजनैतिक आक्रात्मकता से ममता के दूर होने का कारण इस साल 14 जनवरी को दार्जिलिंग में हुई वह मीटिंग थी, जिसमें उनके अलावा राज्य के गवर्नर धनखड़ तथा असम के मुख्यमंत्री हिमान्ता बिस्वा सरमा शामिल थे। हालांकि इस मीटिंग को एक शिष्टाचार मीटिंग का नाम दिया गया, जिसमें कोई राजनैतिक चर्चा नहीं हुई, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्हें यह संक्षिप्त संदेश दे दिया गया था कि वे स्वयं को राज्य की राजनीति तक ही सीमित रखें, अन्यथा उसके परिणाम उनके सामने आ जायेंगे। उनसे यह कह दिया गया बताते हैं कि उनके पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर मारे गये छापे तो एक छोटी सी शुरूआत हैं, आगे और बहुत कुछ हो सकता है।

आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पशु तस्करी केस में तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता अणुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया।

सैन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सी.बी.आई.) की टीम तृणमूल के बीरभूमि जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिये उनके घर पहुँची। सी.बी.आई. के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी थे। इससे पहले मंडल के वकील ने कहा था कि उन्हें पूछताछ के लिये उपस्थित होने से पहले, कम से कम दो सप्ताह का समय चाहिये।

एक बहुत बड़ा प्रश्न यह भी पूछा जा रहा है कि क्या यही स्थिति आठ बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार की भी होनी है, जिन्होंने विपक्ष के खेमे में पहुँच कर, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर करार प्रहार किया है।

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मंडल के वकीलों ने सी.बी.आई. से कहा था कि उन्हें सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थित होने के लिये 14 दिन का समय चाहिये, क्योंकि उन्हें फिस्टुला का ऑपरेशन कराना है। एक बार तो राज्य के एस.एस.के.एम. अस्पताल के बदनाम डॉक्टरों ने कह दिया था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की वस्तुतः कोई जरूरत नहीं है।

बंगाल की राजनीति ने प्लासी के युद्ध के दिनों से लेकर अभी तक सम्भवतः चोरी तथा चरित्रहीनता का ऐसा खुला प्रदर्शन एवं कारनामे नहीं देखे हैं। रोजाना ही, सत्तारूढ़, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य जनता की खुली लूट, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार के ऐसे उदाहरण इसके अलावा, ऐसे दस्तावेज भी जब्त किये गये हैं, जो विभिन्न लेन-देन दर्शाने वाले हैं। कुछ पैन ड्राइव तथा कम से कम 10 मोबाइल फोन भी जब्त किये गये हैं।

सी.बी.आई. ने कोर्ट को शिकायत की कि, अनुब्रत मण्डल ने जांच के दौरान सहयोग नही दिया तथा केस के संबंध में उनकी जांच के सारे प्रयासों को टाल रहे हैं। जिले में उनके कई वफादारों को सी.बी.आई. ने गिरफ्तार भी किया है। अभी 19 संदिग्ध व्यक्ति और लाइन में हैं। इनमें से कुछ ने जिनमें ब्रातेबासू और फिराद हासिम जैसे प्रसिद्ध लोग भी शामिल हैं, प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा कि, सी.बी.आई. तथा ई.डी. गलत हैं।

ये लोग वही बात दोहरा रहे हैं, जो

- मज़े की बात यह है कि, अनुब्रत मंडल के कुछ नज़दीकी साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सी.बी.आई. की इस कार्यवाही का विरोध जताया। ये वो ही सब बातें करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ममता बनर्जी ऐसे मौकों पर सदा से कहती रही हैं। "यह केन्द्रीय सरकार की साजिश है तथा वो राज्य सरकार को कमजोर व बदनाम करना चाहती है। केन्द्रीय सरकार डरा कर तृणमूल नेताओं को राजनीति छोड़ने या भाजपा से जुड़ने का दबाव बना रही है।"

पेश करते रहते हैं।

गिरफ्तारी से पहले, अणुब्रत मण्डल ने मवेशियों को तस्करी से बाँग्लादेश भेजने के मामले में सी.बी.आई. के समक्ष उपस्थित होने के 10 पूर्व सम्मनों की अनदेखी कर दी थी। उनके निजी सिक्योरिटी गार्ड सैगल होसेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि होसेन ने अनेकानेक सम्पत्तियों के ढ़ेर लगा रखे हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रूपयों में है।

अणुब्रत के करीबी समर्थक तथा सहायक करीम खान एवं जिआउल हक़ भी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, एक पत्थर-व्यापारी, तुलू मण्डल के निवास पर भी छापा मारा गया है। इन छापों तथा गिरफ्तारियों में 17 लाख नकद रूपये जब्त कर लिये गये, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा कहती हैं कि, केन्द्र विपक्ष के नेताओं को धमकाने व भयभीत करने के लिए केन्द्रीय एजेन्सियों का उपयोग कर रहा है तथा इन्हें फुसला रही है, विपक्ष को छोड़कर भाजपा के साथ आने के लिए।

सत्तारूढ़ व्यवस्था भीतर तक भ्रष्ट साबित हो रही है तथा हर संभव अनियमितता बरत रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के सबसे करीबी लोग भी शामिल हैं।

प्रश्न यह है कि: कैबिनैट शैली की सरकार में, जो सामूहिक जिम्मेवारी पर आधारित है, क्या अब समय नहीं आ गया कि मुख्यमंत्री जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। ऐसा हो जाता, बहुत पहले ऐसा हुआ होता, यदि राजनेताओं में ज़रा भी शर्म व आत्म सम्मान होता।

'किश्त नहीं चुकाई तो जमा राशि पर कटौती जायज'

जयपुर की स्थायी लोक अदालत ने आवासन मंडल के पक्ष में फैसला सुनाया

- लोक अदालत ने कहा कि, परिवादी ने कई रिमाइंडर भेजे जाने के बाद भी किश्त जमा नहीं करवाई थी, इसलिए आवासन मंडल जमा राशि से नियम अनुसार कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज लौटाए।

जयपुर, 11 अगस्त (का.सं.)। जिले की स्थाई लोक अदालत ने तय शर्तो के अनुसार किश्त नहीं चुकाने पर फ्लैट का आवंटन रद्द करने और जमा राशि में से कटौती करने की आवासन मंडल की कार्रवाई को सही माना है। अदालत ने कहा कि, परिवादी ने जानबूझकर किश्त जमा नहीं कराई, जबकि, उसे बोर्ड ने किश्त चुकाने के लिए कई पत्र भेजे थे। ऐसे में आवासन मंडल जमा राशि में से नियमानुसार राशि कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज लौटाए। अदालत ने यह आदेश अविनाश कुंभज कि याचिका पर दिया है।

मामले के अनुसार परिवादी ने फरवरी 2013 में हाउसिंग बोर्ड की जगतपुरा स्थित इंदिरा गांधी आवासीय योजना में फ्लैट के लिए 2,96,000 रुपए पंजीकरण राशि जमा करवाकर आवेदन किया। बोर्ड ने फ्लैट की अनुमानित आरक्षण राशि 29.60 लाख रुपए तय कर उसे आरक्षण पत्र जारी कर दिया और सात किश्तों में राशि जमा करवाने के लिए कहा, लेकिन उसने राशि का भुगतान नहीं किया और 8 जुलाई 2014 के बोर्ड नोटिस पर अंतिम भुगतान सहित कुल 7,53,720 रुपए ही दिए। हाउसिंग बोर्ड ने किश्त नहीं देने पर फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया।

वहीं परिवादी ने हाउसिंग बोर्ड से जमा राशि वापस मांगी। इस पर बोर्ड ने नियमानुसार जमा में से बीस प्रतिशत राशि कटौती कर उसे शेष राशि रिफंड देने की बात कही। इसे परिवादी ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती दी।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई।

शपथ लेने से पहले सुबह धनखड़ राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होने ट्वीट किया राजघाट के पवित्र शांत माहौल में पूज्य बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत की सेवा में तत्पर रहने के लिए स्वयं को धन्य व प्रेरित महसूस किया। अपने वकालत कैरियर में धनखड़ सबसे युवा थे, जिन्हें 1987 राजस्थान हाई कोर्ट बार ऐसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था। एक वर्ष बाद वे 1988 में वे राजस्थान बार काउन्सिल के सदस्य भी बने। उन्हे 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनके रिश्ते हमेशा तल्ख रहे।

'चुनाव के समय...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि अर्थव्यवस्था पर इनके "साइड इफैक्ट्स" का आकलन किया जाना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के वकील सिंघवी ने कहा, इम समझते हैं कि आपने गंभीर मुद्दा उठाया है। "फ्रीबी" शब्द का बहुत ग़लत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बैंच ने कहा "हम सजग हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं।"

सिंघवी ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता का आवेदन है कि राजनैतिक पार्टियों को कोई भी वादा या दावा करने से प्रतिबंधित करने के लिए जिस तरीके से आदेश चाहा जा रहा हैं वह ना केवल मुश्किल है बल्कि अनुचित भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से समाजवादी व लोक कल्याणकारी एजेंडा को निकाल फेंकने से याचिकाकर्ता जातिवाद व सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति करेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि याचिका, जिसमें से "मुफ्त सौगातों" हल्का सा जिक्र है, स्पष्ट रूप से आर्थिक विकास के एक खास मॉडल के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही चाहती है। वे मुख्य रूप से समाजवादी कल्याणकारी साधनों पर होने वाले खर्च पर अंकुश लगाना चाहते हैं।" विकसित देशों द्वारा अपनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए आपने कहा कि स्कैंडिनेवियन देशों के समाजवादी व लोक कल्याणकारी मॉडल के कारण इन देशों ने विकास के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

कमेटी का सुझाव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया जिसमें केन्द्र सरकार का सचिव, राज्य सरकार का सचिव, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नैशनल टैक्स पेपर्स एसोसिएशन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अगर मुफ्त सौगातों के लोक कल्याण मान लिया गया तो यह विनाशकारी होगा। पूर्व सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गरीबों को मदद की आवश्यकता है।

वरिष्ठ वकील व सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व...

- दुष्यन्त दवे का कहना था कि, मुख्य न्यायाधीश बैंचों के गठन के बारे में निर्णय लें तथा इस बात को भी निश्चित करें कि, कौन सी बैंच किस विषय (सब्जैक्ट) पर मुकदमे सुनेगी। पर, इसके आगे ऑटोमैटिकली, कम्प्यूटर द्वारा "डिसाइड" होना चाहिये, किसी आदमी द्वारा नहीं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक इन्टरव्यू में दवे ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश बैंचों की संरचना/गठन के बारे में निर्णय ले सकते हैं, वे उन बैंचों को सब्जैक्ट मैटर्स के आवंटन का भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हो जाने के बाद, कम्प्यूटर को उसके स्वयं के हिसाब से काम करते हुये, विभिन्न बैंचों के पास मुकदमे भेजते रहना चाहिये। इस मामले में रजिस्ट्रार या मुख्य न्यायाधीश द्वारा होने वाला मानवीय हस्तक्षेप बहुत क्षुब्ध कर देने वाला है।"

दवे ने उदाहरण देते हुए कहा कि किस प्रकार से एक विशेष कॉर्पोरेट हाउस के केस एक खास बैंच को ही आवंटित किये जाते थे।" इसके अलावा इसका और क्या स्पष्टीकरण हो सकता है कि एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट प्रतिष्ठान के नौ केसों का फैसला न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की बैंच द्वारा ही दिये गये? मेरे जून, 2019 में लिखे गये पत्र, जिसके लिखे जाने तक केवल चार ही केस उस बैंच के पास गये थे, के बावजूद मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने 5 केस उसी बैंच को और सौंपे थे.....। यह उदाहरण आपको क्या बताता है? जब न्यायमूर्ति गोगोई की पुस्तक लॉन्च हुई तो उन्होंने उस पुस्तक के विमोचन समारोह में उस कॉर्पोरेट हस्ती का सपरिवार स्वागत किया था। यह घटना आपको क्या बताती है? ऐसा होते देखना वास्तव में बहुत व्याकुल कर देने वाला है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं और सर्वोच्च न्यायालय का हर व्यक्ति अपनी आंखें बंद किये रखना चाहता है। आखिर जज क्या कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अनिवार्यतः बहुत अच्छे जज होते हैं। लेकिन ये अच्छे जज खामोश क्यों बने रहते हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय की कोई खास बैंच किसी खास कॉर्पोरेट घराने के लिये बनी है? ऐसा लंबे समय से, बहुत लंबे समय से हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत पहले, जब केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पर अभियोग चला था, या ऐसा कुछ था, उस समय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बालकृष्णन थे, मुकदमा केवल पहली पांच बैंचों को सौंपा जाना था, लेकिन यह प्रकरण 9 या 10 नम्बर की अदालत के पास भेज दिया गया तथा तुरन्त ही अंतरिम आदेश जारी कर दिये थे। ऐसा प्रायः हो रहा है।

दवे ने रजिस्ट्रार एक कामकाज को लेकर भी अपनी चिंताएं साझा कीं। उन्होंने कहा, "बहुत सारे युवा वकीलों में यह भावना पुष्ट होती जा रही है कि उनके केस महीनों-महीनों तक सूचीबद्ध नहीं किये जाते तथा कुछ प्रभावशाली एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड के केस अचानक सूचीबद्ध हो जाते हैं, कभी-कभी तो ऐसा ठीक उसी फैसले से हो जाता है, जिसके लिए किसी अन्य एडवोकेट ऑन-रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में इससे पूर्व याचिका दाखिल की होती है। इन चीजों से बहुत ही बुरा संदेश जाता है।"दवे ने कहा, "जब मैं बार का अध्यक्ष था, तब मैंने इस मामले में प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश से बात करने की कोशिश की थी, और मुझे कहना ही होगा कि न्यायमूर्ति ठाकुर ने इस व्यवस्था को सुधारने का उल्लेखनीय प्रयास किया था तथा उनसे मेरी काफी बातचीत हुई थी। उन्होंने शिकायतों के समाधान के लिये एक खास किस्म के जज तथा वकीलों का ग्रुप बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य का विषय था कि जैसे ही वे मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुये, अगले जज ने उस शिकायत-समाधान तंत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक व्यवस्था होनी ही चाहिये। आज, जज सर्वेसर्वा हैं। बार जजों से यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है।" दवे चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में आ रहा क्षय रूके। उन्होंने कहा, "युवा वकील वास्तव में बहुत परेशान हैं। सीधे-साधे वादी वास्तव में परेशान हैं। प्रभावशाली वादियों के केसों का नम्बर पहले आ जाता है तथा उन्हें अनुकूल स्लॉट भी मिल जाता है।" आघात पहुंचाने वाली बात यह है कि रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों का युवा वकीलों तथा अपेक्षाकृत कम सफल वकीलों की परेशानियों और तकलीफों की तरफ ध्यान ही नहीं है। दवे ने पूछा कि अगर उच्च न्यायालयों में दर्ज केस अगले ही दिन सूचीबद्ध हो सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप उच्च न्यायालय में कोई केस दायर करते हैं, तो वह 2-3 दिनों में सूचीबद्ध हो जायेगा। ऐसा इसलिये हो जाता है कि उच्च न्यायालयों में उनके बोर्डों पर अदालत का पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से जज, जो उच्च न्यायालयों से आये हैं, या तो इन स्थितियों को सुधारने के इच्छुक नहीं है, या फिर वे उनकी पूरी तरह उपेक्षा करते रहना चाहते हैं। बार के युवा वकीलों को कोर्ट में उपस्थित होने के एक या दो अवसर ही मिल पाते हैं, लेकिन उन्हें अपने मुकदमे एक, दो या तीन दिन में सूचीबद्ध करा पाने में मुश्किल आती है, जबकि प्रभावशाली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक महीने 50 केस तक दर्ज करा लेते हैं। दवे चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को इन युवा तथा महिला वकीलों का सहयोग करना चाहिये क्योंकि उनके मुवक्किलों को न्याय की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुकदमा लंबे समय तक सूचीबद्ध नहीं होता, तो वे विभिन्न राज्यों से अदालत में आने वाले वकीलों के आगे क्या प्रदर्शित कर सकते हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908